International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 04, October - December, 2019, pp. 66-77

पुलिस की वर्तमान भूमिका – आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के अनुकूल

निदेश शर्मा *

प्रस्तावना

लोककल्याणकारी राज्य का सिद्धान्त राज्य के कार्य क्षेत्र का एक आधुनिक सिद्धान्त है। यह शब्द सामान्यतः उस राज्य के लिए अपनाया जाता है जो अपने नागरिकों के लिए केवल न्याय, सुरक्षा व आन्तरिक व्यवस्था करके ही सन्तोष नहीं कर लेता, अपितु उनके कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जीवन के चहुंमुखी विकास पर ध्यान देता हैं।

लोककल्याणकारी राज्य की धारणा अत्यन्त विस्तृत है अतः कोई सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है सामान्यतः उस राज्य को कल्याणकारी राज्य कहते है जिसमें राज्य द्वारा उन आपत्तियों एवं कठिनाईया प्रत्येक नागरिक के जीवन में उपस्थित हो सकती है यह एक ऐसे राज्य की ओर संकेत करती है जो जनता की भलाई के लिए कार्य करती हैं जिससे जीवन का न्युनतम स्तर प्राप्त करने का विश्वास तथा अवसर प्रत्येक नागरिक के अधिकार में होते हैं। इस प्रकार लोककल्याणकारी राज्य यह व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत सरकार अपने समस्त नागरिकों के लिए रोजगार, आय, शिक्षा, चिकित्सा, सहायता, सामाजिक सुरक्षा तथा आवास के कुछ स्तर स्थापित करने के लिए तैयार रहती हैं।

आधुनिक युग में अधिकांश देश कल्याणकारी राज्य का दर्जा पा चुके है, जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग तथा आयु के बीच भेदभाव रहित व्यवस्था की स्थापना करना है, जहॉ मानव को उनके मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय व सुरक्षा की प्राप्ति हो इस कार्य में पुलिस की भुमिका उल्लेखनीय है, जो कानून व व्यवस्था का सम्मान करने वालों तथा उसे तोडनें वालों के बीच भेद करके कल्याण राज्य के उद्देश्य पूर्ती में अहम् भुमिका निभाती हैं।

पण्डित नेहरू जी ने कहा था कि "किसी भी राज्य को हम एक कल्याण राज्य तभी कह सकते है, जब उस पर कुछ समर्थ और सम्पन्न लोगों का अधिकार न हो, बल्कि जिसका उद्देश्य सभी वर्गो और खासतौर से दुर्बल वर्गो का अपना विकास करने तथा उन्हें अधिकतम सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना हो।"

महात्मा गॉधी जी ने भी कल्याण राज्य के बारे में अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा था कि "केवल वही राज्य एक कल्याण राज्य हो सकता है, जो पूरे समुदाय के कल्याण में योगदान करने वाली सेवाओं और कार्यो की व्यवस्था कर सकता हो। यह वह राज्य है जिसमें कानून व कानून को लागु करने वाले लोग जन साधारण के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना अपना सर्वोपरि उद्देश्य मानते है।" संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में यह उल्लेख है कि "राज्य एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जनकल्याण में वृद्धि करने का प्रयत्न करेगा, जिससे राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं द्वारा लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके।" न्यायधीश दागला ने कहा था कि एक कल्याणकारी राज्य वह है जिसका व्यवहारिक उद्देश्य नागरिकों को प्राप्त स्वतन्त्रता का न्यायिक ढंग से उपभोग करने के अवसर प्रदान करना है। कल्याण राज्य की इसी अवधारणा के संदर्भ में "पुलिस की वर्तमान भुमिका किस सीमा तक कल्याण राज्य के अनुकूल है", इस मूल्यांकन किया जा सकता।

* शोधार्थी, महात्मा ज्योतीराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

पुलिस का अर्थ

पुलिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पुलिटेया (Politeia) अथवा इसी के समानार्थी लैटिन शब्द पुलिटेआ (Politia) से हुई है। ग्रीक शब्द पुलिटेया (Politeia) राज्य सरकार के प्रशासन के अर्थो में प्रयोग किया जाता है लैटिन के पुलिटेआ (Politia) का अर्थ राज्य प्रशासन है। पुलिटिया (Politia) से तीन शब्द व्युत्पन्न होते है :–

- **प्रथम पोलिसी (Policy) :–** जिसका अर्थ है किसी शासन पद्धति के अन्तर्गत संगठित जन समुदाय, राज्य संविधान एवं राज्य प्रशासन से हैं।
- **द्वितीय पोलिसी (Policy) :–** जिसका अर्थ है नीति। जिसके माध्यम से शासकीय कार्यपद्धति का नियन्त्रण तथा निर्देशन किया जाता है तथा एक निश्चित क्रियाविधि का चयन किया जाता है।
- **तृतीय शब्द पुलिस (Police) :–** जिसका अभिप्राय है व्यवस्था बनाये रखना, कानून का पालन करना, रक्षा करने वाला, राज्य के शासन को नियन्त्रण करने वाला आदि।

पुलिस शब्द में सुरक्षा का भाव निहित है। आदर्श रूप में पुलिस शब्द से मन में ऐसे व्यक्ति का चरित्र उभर कर आना चाहिए जिससे शांति, धैर्य, अनुशासन, विनम्रता, संवेदनशीलता, साहस, दक्षता आदि सभी गुण कूट–कूट का भरें होते हैं।

P – Polite – विनम्रता
O – Obedient – आज्ञाकारी
L – Loyal – विश्वासपात्र
I – Intelligent – बुद्धिमान
C – Coutageous – साहस
E – Efficient – दक्ष

पुलिस का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है, जिसका काम सामान्य व्यक्तियों के जनजीवन की रक्षा करना हैं। यह तभी संभव है, जब पुलिस को एक ऐसे संगठन के रूप में समझा जाए जो राज्य में शान्ति व व्यवस्था बनाये रखता है प्रत्येक समाज अपने स्थायित्व एवं संरचना को बनाये रखने के लिए तथा अपने सदस्यों के बीच सहभाव कायम करने के लिए किसी न किसी तन्त्र का विकास अवश्य करता है पुलिस जन–नियन्त्रण का ऐसा ही संस्थाबद्ध तंत्र हैं। प्रत्येक समाज में वैध उपकरण के रूप में पुलिस को शान्ति–व्यवस्था बनाये रखने के लिए मान्यता प्राप्त होती है। स्थानीय प्रशासन का मौलिक कार्य कानून व्यवस्था को बनाये रखना है, जो पुलिस की सहायता के बिना संभव नहीं है, इसलिए पुलिस को अपराधी नियमों को लागु करने वाले प्राथमिक संगठन के रूप में देखा जाता हैं।

साहित्य का पुनरावलोकन

- श्रीमती सुमन शेखावत 2009 महाराजा मानसिंह पुस्तक शोध केन्द्र, जोधपुर, द्वारा लिखित "पुलिस प्रशासन" है जिसमें पुलिस व जनता के सकारात्मक पहलु बताया गया हैं।
- विमल प्रसाद राय द्वारा लिखित पुस्तक "पुलिस और समाज" भी एक है जिसमें पुलिस व समाज सम्बन्ध को दर्शाया गया है तथा जनता व पुलिस के सम्बन्धों का विश्लेषण किया गया हैं।
- लुइस ए. रेडीलेड द्वारा लिखित पुस्तक "द पुलिस एण्ड द कम्युनिटी" पुलिस व समाज के विभिन्न सम्बन्धों पर समाजशास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालती हैं।
- डा. बी. एल. फडिया द्वारा लिखित पुस्तक प्रशासनिक संस्थाएं में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विवेचना की हैं।
- कु. राजेन्द्र राजावत द्वारा लिखित "पुलिस चिन्तन" में पुलिस का बढता महत्व व विकास को समझाया गया हैं।

- वी. आर. कृष्ण अय्यर द्वारा लिखित "पुलिस इन ए. वेलफियर स्टेट" में लोककल्याणकारी राज्य में पुलिस की भुमिका का वर्णन किया गया है, तथा लोककल्याणकारी राज्य में पुलिस के कार्यो का वर्णन किया गया। लोककल्याणकारी राज्य में पुलिस की बढती भुमिका पर प्रकाश डाला गया।
- डा. नीरज दुबे का लेख "कल्याणकारी राज्य और पुलिस की भुमिका" में पुलिस के कार्यो व कल्याणकारी राज्य में पुलिस के कार्यो में आने वाली बाधाओं का विवेचन किया।

शोध प्रविधि व स्त्रोत

शोधकार्य के वैज्ञानिक होने के लिए उसका मूल निरपेक्ष व वस्तुनिष्ठ होना अनिवार्य है तथा इसका आधार अपनाई गई शोध प्रविधि है समाज विज्ञान में शोध कार्य हेतु सत्य एवं वस्तुनिष्ठ सूचनाएँ संकलित करने के लिए तथ्य संग्रहण के प्राथमिक व द्वितीयक दोनो प्रकार के स्त्रोतों का सहारा लिया जाता है प्रस्तुत शोध पत्र में वस्तुनिष्ठता उच्चस्तरीय विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता लाने की दृष्टि से सूचनायें एकत्रित करने के लिए प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग किया जायेगा। हमारे इस शोध में मुख्यरूप से व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली का उपयोग करते हुए पुलिस की भुमिका आधुनिक कल्याणकारी समाज के अनुकूल का अध्ययन किया जायेगा। मुख्यरूप साक्षात्कार, अवलोकन विधियों का उपयोग किया जायेगा। साथ में द्वितीयक स्त्रोत में विभिन्न शोध पत्रिकाओं, ग्रन्थों आदि का उपयोग भी किया जायेगा।

अध्ययन की आवश्यकता

वर्तमान युग विकास का युग है और विकास तभी संभव है जब किसी समाज में आन्तरिक शान्ति यानि की कानून व्यवस्था बनी रहें इसलिए समाज में पुलिस की भुमिका महत्वपूर्ण हैं। अतः पुलिस की भुमिका आधुनिक कल्याणकारी समाज के अनुकूल हो इस शोध का प्रमुख उद्देश्य होगा।

यह अध्ययन आने वाले समय में लाभकारी होगा विशेष तौर पर :–

- उन शोधकर्त्ताओं तथा नीति निर्माण करने से सम्बन्ध व अन्य क्रियाओं के लिए जो पुलिस के बारे में अधिक व गहन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।
- समाजशास्त्र विषय के अध्ययनकर्त्ताओं के लिए।
- लोक प्रशासन विषय के अध्ययनकर्त्ताओं के लिए
- जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते है व जो कि पुलिस सेवा में भर्ती होना चाहते है, उनके लिए भी लाभकारी होगा।

शोध के उद्देश्य :–

"सेवार्थ कटिबद्धता" जो सम्पूर्ण उद्देश्य कर्त्तव्य की व्याख्या करता हैं।

- समाज व जनता में शान्ति व्यवस्था स्थापित करना।
- लोक कल्याणकारी स्वरूप को जानना।
- कल्याणकारी स्वरूप को बनाये रखने में आने वाली बाधा को जानना।
- जनता का पुलिस पर विश्वास करवाना।
- पुलिस कर्मियों व जनता के दृष्टिकोण को जानना।

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पुलिस की भुमिका, स्थिति व दृष्टिकोण समझकर जनता में आत्मशक्ति व आत्मविश्वास की दशा व दिशा की मनोवृत्ति का अध्ययन कर राज्य को लोककल्याणकारी स्वरूप बनाये रखने हेतु पुलिस नीति के लिए बनाई जा रही योजनाओं में सहयोग प्रदान करना हैं।

प्राकल्पनाएँ

- राज्य में पुलिस व जनसाधारण के बीच परस्पर विश्वास की कमी है तथा पुलिस की छवि अच्छी नहीं है सामान्य जनता पुलिस की छवि से असंतुष्ठ हैं।
- पुलिस कर्मचारी अपनी कार्यदशाओं, वेंतन, भत्तों, सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है इसका प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर पडता हैं।

अध्ययन का महत्व

इस शोध से यह सुस्पष्ट करने का प्रयत्न किया जायेगा की पुलिस की भुमिका किस प्रकार लोककल्याणकारी राज्य के स्वरूप को प्रभावित करती है तथा कानून व्यवस्था बनायें रखने में यह किस सीमा तक प्रभावी रहती है। इस अध्ययन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यदि राज्य में कानून व्यवस्था न बनी रहे तो राज्य में किसी भी प्रकार का विकास सम्भव नहीं हैं।

पुलिस संरचना

भारतीय संविधान के अनुसार पुलिस संगठन राज्यों का विषय है। फलस्वरूप प्रत्येक राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में शांति व सुरक्षा बनाये रखने के लिए पुलिस को संगठित करें। वही संविधान के अनुच्छेंद 355 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों की सहायता हेतु केन्द्र सरकार द्वारा भी एक बल की स्थापना की जाए जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के नाम से जाना जाता है। यद्पि राज्यों का विषय होने के कारण विभिन्न राज्यों में पुलिस के संरचनात्मक संगठन में अन्तर पाया जाता है, किन्तु अधिकांश राज्यों में पुलिस के संस्तरण तथा उनकी कार्य पद्धति लगभग एक जैसी है। भारत में पुलिस का वर्गीकरण नागरिक पुलिस व सशस्त्र पुलिस बल के रूप में किया जाता है कार्य की प्रकृति व क्षेत्र के आधार पर पुलिस को छः श्रेणियों में विभाजित किया गया है :–

- सामान्य पुलिस
- यातायात पुलिस
- गुप्तचर पुलिस
- रेलवे पुलिस
- स्त्री पुलिस
- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

हाल में सरकार ने बडे–बडे औद्योगिक संस्थाओं को अपराध व आतंक की घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए "केन्द्रीय औद्योगिक पुलिस बल" का भी गठन किया हैं।

राज्यों में पुलिस प्रशासन

राज्य स्तर पर पुलिस संगठन स्टाफ तथा लाइन दोनों प्रकार की भुमिकाओं का निर्वाह करता है ये कार्य जटिल प्रकृति के होते है, क्योंकि इन्हें तीन स्तरों पर जुझना पडता है :–

- केन्द्रीय सरकार तथा उसकी इकाईयॉ
- राज्य सरकार का गृह मन्त्रालय
- जिला पुलिस अधिकारियों से सम्बन्धित अन्य निम्नस्तरीय इकाईयॉ।

उपर्युक्त सभी कार्यवाहियां प्रायः साथ–साथ की जाती रही है। इनमें से कुछ स्टॉफ इकाईयॉ होती है, जो की केवल राज्य स्तर पर सक्रिय होती है तथा लाइन इकाईयॉ जिला शाखाओं की सहायता से कानून व व्यवस्था स्थापित करती हैं। प्रत्येक राज्य का पुलिस संगठन होता है जो राज्य में पुलिस प्रशासन को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करता है।

राज्य में पुलिस प्रशासन महानिदेशक के निर्देशन व अधीक्षक में कार्य करता है, इसके कार्यो में सहायता के लिए कुछ विशेष सहायक व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होते है जो मुख्यालय पर स्थित होते है, इन्हें दो प्रकार के उत्तरदायित्व वहन करने होते है 1. नीति–निर्माण करना 2. नीति का क्रियान्वयन के लिए "लाइन" क्रियाकलापों का संचालन करता हैं।

राज्य में पुलिस प्रशासन

ढांचा स्तर	राज्य सरकार
राज्य (सचिवालय)	गृहमन्त्री
↓	↓
निदेशालय	गृहसचिव
↓	↓
रेंज	पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी)
↓	↓
जिलें	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ए.डी.जी.पी)
↓	↓
सर्किल	पुलिस महानिरीक्षक(आई.जी.पी.)
↓	↓
थाना	पुलिस अधीक्षक (एस.पी)
↓	↓
चौकी	अपर पुलिस अधीक्षक (ए.एस.पी)
	↓
	उप–पुलिस अधीक्षक (डी.वाई.एस.पी)
	↓
	पुलिस निरीक्षक (इन्सपेक्टर)
	↓
	पुलिस उपनिरीक्षक (एस.आई.)
	↓
	सहायक उपनिरीक्षक (ए.एस.आई.)
	↓
	मुख्य आरक्षी (एच.सी.)
	↓
	आरक्षी

इसके साथ–साथ राज्य स्तर पर कार्यरत पुलिस संगठन के पास अनेकानेक कार्यात्मक तथा विशिष्ट कार्य करने की इकाईयॉ है।

पुलिस की भुमिका

कानून व शांति व्यवस्था को बनाये रखकर लोकल्याणकारी राज्य के स्थायित्व में पुलिस की भुमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक समाज में अपराधों को रोकने तथा कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को पकडकर न्यायालय में प्रस्तुत करना पुलिस का मुख्य कार्य है सामाजिक तौर पर सभी को कानून की सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पुलिस पर है जाति, धर्म, पंथ के भेदभाव को भुलाकर कार्य करना चाहिए। समाज में अपराधों व असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करना। समाज में व्याप्त समस्याओं के बारे में सरकार को जानकारी देना। समाज में अनुशासन बनाये रखना। आवश्यकता पडने पर किसी भी स्थान में व क्षेत्र में यदि अव्यवस्था उत्पन्न हो जाये या यातायात की कमी पड जाये तो समयानुसार सहायता करना।

कानून का पालन करने की बाध्यता लोंगों में पुलिस के भय से ही पैदा होती है और यही भय उन्हें अपराध करने से रोककर राज्य में शांति बनाये रखने में मुख्य भुमिका निभाता है। किसी भी समाज की संस्था में उतार–चढ़ाव व जटिलताएं लोगों के संबंधो में हित प्रधान व औपचारित भावों को बढ़ावा देती है। संबंधों की औपचारिकता के कारण उल्लंघन के तरीकों में भी परिवर्तन होता रहता है जिसे दूर करने के लिए पुलिस को समय–समय पर प्रशिक्षण करके, नयी तकनीकी का प्रयोग कर कानून व व्यवस्था को लागु किया जा सकता है।

पुलिस के कार्य

- **प्रशासनिक कार्य :–** पुलिस का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय प्रशासन को सहायता देकर प्रशासनिक आदेशों का जनता द्वारा परिपालन को निश्चित करना है। सार्वजनिक जीवन में शांति बनाए रखना, सार्वजनिक सम्पत्ति व औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, बड़े नेताओं व समाज के प्रमुख व्यक्तियों की सुरक्षा करना, यातायात व्यवस्था बनाये रखना, रात के समय गश्त लगाना, आपसी संघर्ष की घटनाओं को रोकना आदि पुलिस के प्रशासनिक कार्य है। सामाजिक संबंधो की जटिलता, बड़े शहरों का विकास, घातक हथियार का प्रसार, अपराधी गिरोह व क्षेत्रों के विकास के कारण पुलिस की आवश्यकता ज्यादा हो गयी हैं। अपराध कर्मो में संलग्न व्यक्तियों को वारंट या बिना हिरासत में लेकर न्याय के लिए समक्ष अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना व संदेहास्पद व्यक्ति की तलाशी व पुछताछ पुलिस का महत्वपूर्ण कार्य है।
- **आपराधिक प्रवृत्तियों की रोकथाम सम्बन्धी कार्यः** आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए पुलिस को भी अपनी प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ता है। इसके लिए गुप्त सूचनाओं का पता लगाने के लिए एक नेटवर्क तैयार करती है, जिससे अपराध होने से पहले उसे रोका जा सके व अपराध की योजना बनाने वाले को सबूत के साथ पकड़ा जा सके।
- **कल्याणकारी कार्यः** आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों में पुलिस के कार्यों में सार्वजनिक कल्याण कार्यो को भी शामिल कर लिया गया है। जिसके तहत् खोए हुए व्यक्तियों का पता लगाना, बाल अपराधियों पर नियंत्रण करना दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के उपचार की व्यवस्था करना, बाल–अपराधियों के पुर्नवास की व्यवस्था करना आदि।

  पुलिस द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी कार्य निम्न प्रकार है–

- **स्त्रियों के लिएः–** सामाजिक–पारिवारिक विघटन की बढती दर तथा व्यक्तिवाद की प्रवृति की बढ़त ने पुलिस के दायित्वों में वृद्वि की है जिसे पुलिस द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है, परिणामस्वरूप पुलिस आज एक कल्याणकारी भुमिका में दिखाई दे रही है। महिलाये अपनी पीड़ा व व्यथा को बिना किसी भय के समाधान करा सके इसके लिए ''महिला थाने'' की स्थापना की गई जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहें है। महिला प्रकोष्ठ व महीला गरिमा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई जिससे महिलाए अपनी सुरक्षा व अपने ऊपर हाने वाले अतयाचारों को रोकने हेतु पुलिस का सहयोंग लेने लगी है। महिलाओं पर अत्याचार के कुछ क्षेत्र ऐसे भी जहॉ कानून व पुलिस का दबाव नकारात्मक होता है। परिवार में होने वाले झगड़े, शराब पीकर मारपीट करने, दहेज हेतु सताने के ऐंसे कई मामले सलाह व परामर्श के द्वारा सुलझाए जाते है जो अपराध का कारण हो सकते है। यदि पीड़ित महिला थाने में आने में असमर्थ है तो वह स्वंय या अपने किसी स्वजन के माध्यम से दुरभाष पर पुलिस थाने की हेल्पलाइन सेवा का लाभ उठाते हुए पुलिस की सेवा प्राप्त कर सकती है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है जिसके माध्यम से पुलिस सूचना मिलते ही पीड़िता महिला की सहायता कि लिए पहुॅच जाती है। शासन द्वारा महिलाओं के प्रकरण जैसे तलाक,भरण–पोषण अलगाव–समस्याओं के निराकरण हेतु परिवार न्यायलय व कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किये गए है।
- **बच्चों के लिए :–** बच्चों क मन से पुलिस की डरावनी छवि को दूर करने के उद्देश्य से ''बाल–मित्र'' योजना शुरू की गई जिससे जनता व बच्चों का उचित प्रोत्साहन मिल रहा व जिससे शोषित बच्चा थाने में आकर अपनी व्यथा बता सकता है वही बच्चों को थाने में ले जाकर उन्हें पुलिस प्रक्रिया व कार्यो से अवगत कराया जाता है ताकि पुलिस व थानों के प्रति बच्चों के मन से भय खत्म हो सके। बच्चों के लिए ''चाइल्ड लाइन'' नामक निःशुल्क फोन व्यवस्था चालु की गई, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या बच्चा स्वंय, किसी बच्चे पर होने वाले अत्याचार की शिकायत कर सकता है, तथा समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही लावारिस घुमने वाले अनाथ व अपराध में स्थित, नशे

आदि मे स्थित बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था कर संभावित अपराध को रोकने में पुलिस अहम् भुमिका निभा रही है। पुलिस द्वारा स्कूल–महाविद्यालय में जाकर छात्राओं से रक्षासुत्र बंधाकर रक्षा का वचन दिया जा रहा है। इससे पुलिस के प्रति छात्रोंओ में विश्वास जागृत होता है। महिला पुलिस द्वारा समय–समय पर स्कूल–महाविद्यालय में छात्राओं को सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित किया जाता है तथा पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यो व हथियारों की जानकारी देने हेतु समय–समय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। विद्यालयों व महाविद्यालय के छात्र व छात्राओ को पुलिस प्रक्रिया व गतिविधियों की जानकारी हेतु, थाने की व्यवस्था व हथियारों की जानकारी व पुलिस से भय को दूर करने आदि हेतु पुलिस थाने पर आमंत्रित किया जाता है।

- **समाज के लिए :–** धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण समाज में विभिन्न जाति, धर्म, विचारों के लोग रहते है जिनके हित आपस में टकराने व आपसी वैभनस्थ के कारण इनके मध्य छोटे–छोटे विवाद पैदा होते है। इन विवादों को रोकने के लिए शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु पुलिस सदैव सक्रिय रहती है। कई बार पुलिस जनसमस्याओं का निराकरण जन सहयोग के माध्यम से करती है। इस हेतु पुलिस टीम जिले के गावों में जाकर वही छोटे–छोटे जमीनीं झगड़ों, पारिवारिक विवाद व अन्य विवादो का निपटारा करती है। इसके लिए पुलिस टीम कार्य योजना बनाकर दिन निश्चित करती है जिससे अधिक जनता योजना का लाभ प्राप्त कर सके। वहीं पुलिस को अपने समीप आया देखकर उनका भय दूर हो जाता है व समस्याओं को सामने रखकर वे उनका निराकरण करने में सफल हो जाते है।

पुलिस के कल्याणकारी कार्यो का समाज पर प्रभाव स्पष्ट देखा जा रहा है। महिलाओं में अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का खुलासा करने का साहस आया है क्योंकि उसके लिए महिला पुलिस थाना व पुलिस अधिकारी उपलब्ध है। वहीं चाइल्ड लाइन के माध्यम से बाल–शोषण व लावारिस बच्चों की बहुत सी घटनाओं का निराकरण किया गया है। जमीनी विवाद व अन्य विवादों को पुलिस के द्वारा निपटाया जा रहा है।

- **राज्य में विशिष्ट व्यक्तियों के आने पर :–** राज्य में बाहर के विशिष्ट व्यक्ति के आने पर पुलिस के कार्यो में अत्याधिक वृद्वि हो जाती है। उस व्यक्ति की सुरक्षा के साथ–साथ पुलिस यह भी देखती है कि जनता को यातायात व अन्य किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
- **चुनावों के समयः–** राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी के साथ–साथ लोकतान्त्रिक भी है। अतः जनता स्वयं व प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से सरकार का चयन करती है लेकिन चुनावों के समय कानुन व शांति व्यवस्था को बनाये रखने में पुलिस की अहम भुमिका होती है।

पुलिस की कल्याणकारी भुमिका में बाधाएं

पुलिस तंत्र अपना पूर्ण बल समाज में होने व हो सकने वाले अपराधो को रोकने, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने व कल्याणकारी स्वरूप को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है लेकिन फिर भी कई बार इन कार्यो को पुरा करने में पुलिस की नकारात्मक भुमिका सामने आती है पुलिस अधिकारी तभी ठीक ढ़ग से लोगों की मदद कर पाएंगे जब वे तनाव में नही होगे और उनके आस–पास का माहौल खुशनुमा होगा लेकिन पुलिस की कल्याणकारी भुमिका में निम्न बाधाएं आती है–

- **वेतन संबंधीः–** पुलिस कार्य व कार्य के घण्टे निश्चित नही होते है वे हमेशा जोखिम का सामना करते है लेकिन उन्हें वेतन के अलावा कोई अन्य मुआवजा नही दिया जाता। उनका वेतन कार्य के अनुरूप पर्याप्त नही है अतः घर की आवश्यकता की पुर्ति न होने के कारण वे चिंतायुक्त होकर कार्य नही कर पातें व भ्रष्टाचार तथा लालाफिताशाही मे लिप्त हो जाते है।
- **कार्यक्षमता संबंधीः–** पुलिस कर्मी हमेशा जोखिमों का सामना करता है। उसके कार्य अत्यन्त कठिन के होते है तथा इनके कार्यो में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप होता है जब मुश्किल से पकड़े गए जघन्य अपराधी को राजनेता अपने प्रभाव से छुड़ा लेता है तो उन्हें पकड़ने में जान जाखिम में डालने वाला पुलिस कर्मी स्वंय को ठगा हुआ महसूस करता है तथा कुंठा का शिकार हो जाता है। पुलिस की छवि कलंकित होती है और पुलिसकर्मी का भी कार्य के प्रति मेहनत, ईमानदारी व आत्मविश्वास से भरोसा उठने लगता है।

- **आपसी समन्वय सम्बन्धीः–** विभिन्न पुलिस संगठनों – सामान्य पुलिस, रेलवे पुलिस, यातायात पुलिस कि बीच उचित समन्वय का न होना जिससे अपराधी उनकी पकड़ से बच जाता हैं।
- **अपराध निरोध सम्बन्धीः–** राज्य में अपराध निरोध पुलिस की कमी है जिससे पुलिस में विशेषज्ञो का अभाव होने के कारण अपराधियो की मानसिकता न समझने से अपराध घटित हो जाते है।

तनाव संबंधी

पुलिस कार्य उसे तनावग्रस्त करने वाली होती है। उस पर समस्याओं का सामना उसे जटिल मानसिक परिस्थितियों में डाल देता है–

- **पहली समस्या :–** पर्याप्त स्टाफ की कमी नियमानुसार प्रत्येक एक किलोमीटर की बीट के ऊपर छह कांस्टेबल और तीन हैड कांस्टेबल की ड्यूटी होती है लेकिन इसका पालन नही होता है।
- **बढ़ती जनसंख्या :–** पुलिस संख्या पर्याप्त है। जबकि बढ़ती जनसंख्या उन पर कार्य बीझ डाल रही है।
- **शिक्षित बेरोजगारी :–** जो कि दैनिक आवश्यकताओं की पुर्ति हेतु अपराध कार्यो का सहारा लेती है। जो नयी–नयी तकनीति का प्रयोंग करते है।
- **कार्यक्षमता व दक्षता :–** एक पुलिस कर्मी को दस लोगों का कार्य करना पड़ता है जिससे उसकी कार्यक्षमता व दक्षता प्रभावित होती है।
- **राजनैतिक आर्थिक प्रभुत्व वाले लोगों का दबावः–** इस प्रकार के दबाव पुलिस की स्वतंत्र व निष्पक्ष कारवाई में बाधा डालकर उसे कठिन व तनावग्रस्त बनाते है।
- कार्मिक समस्या
- शारीरिक व बौद्विक क्षमता
- पर्याप्त व उचित प्रशिक्षण की कमी।

साधन सम्पन्नता संबंधीः– पुलिस के पास खुंखार अपराधियों का सामना करने हेतु पर्याप्त मात्रा में हथियार, वाहन आदि की कमी है जबकि अपराधी आजकल अत्याधुनिक मंहगे हथियार व तकनीकी का प्रयोग करते है।

यदि हम कल्याणकारी राज्य में सुख–शांति, सौहार्द्व और सुरक्षा की पुर्ति चाहने है तो हमें पुलिस कर्मियों के मार्ग की बाधाओं को दूर करने हेतु त्वरित प्रयास करने ही होगें

वर्तमान लोककल्याणकारी समाज में पुलिस जनसम्पर्क एवं छवि

''सत्यमेव जयते' एवं हमारे योग्य सेवा'' लोककल्याणकारी राज्य के सभी थाना में अंकित है, परन्तु विडम्बना यह है कि लोककल्याणकारी राज्य का आम नागरिक थाने में जानें से हिचकिचाता है, कांपता है, थानें में उसे लुटने व पिटने का डर रहता है।

लोककल्याणकारी राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य 'सेवार्थ कटिबद्वता '' फिर भी आम आदमी थाने को उत्पीडन व आंतक का अड्डा मानता है। यह आम धारणा है कि थाने में कोई कार्यवाही एफ.आई.आर. (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने की या तफतीश करने की, बिना सिफारिश या रिश्वत के नही होती । आज व्यक्ति जितना अपराधी से डरता है उतना ही पुलिस से डरता है। यहॉ तक वह अपने साथ घटी छुट–पुट घटना की सूचना व एफ.आई.आर तक दर्ज नही कराना चाहता है।

पुलिस की धुमिल हुई छवि के कई कारण हैः– जैसे पुलिस हिरासत में मौत, निर्दोषों को लोकअप में डालना, कानून व्यवस्था बनाए रखने में लापरवाही आदि छवि पुलिस की छवि को प्रभावित करती है।

पुलिस व लोककल्याणकारी समाज की जनता में दुरी के निम्न कारण हैः–

- पुलिस तथा जनता शारीरिक रूप से एक–दुसरे के सम्पर्क में होते है लेकिन मानसिक रूप से एक–दुसरे से दूर रहते है।
- जनता पुलिस से सम्पर्क टालती है।

- जनता के मन में यह धारणा है कि पुलिस के पास जाने से हमारी परेशानियाँ दूर न होकर बढ़ेगी ।
- पुलिस की छवि खराब करने में समाचार पत्र की नकारात्मक भूमिका रहती है।
- पुलिस को भ्रष्ट करने में जनता की भुमिका होती है। कई लोग अपना कार्य निकलवाने के लिए रिश्वत देकर काम करवाते है।
- पुलिस जनता से व्यवहार करते समय माननीय पक्ष को नजर अंदाज करती है।
- पक्षपात पूर्ण रवैया के कारण अधिकतर लोगों का मानना है कि पुलिस निष्पक्ष होकर कार्य नही करती है।
- पुलिस पर नियन्त्रण भी एक सत्य है व पुलिस थानों में जों पुलिसकर्मी होते है उनकी संख्या उच्च अधिकारियों के अनुपात मे अधिक होती है। परिणाम स्वरूप उच्च अधिकारियो के उचित नियंत्रण के अभाव में पुलिसकर्मी अपनी मनमानी करते है।
- पुलिसकर्मियों में संवेदनशीलता का अभाव होता है जिसमें माननीय दृष्टिकोण भी संकुचित हो जाता है। जिसमें वह आम आदमी के प्रति व्यवहार को सन्तुलित रखने में असमर्थ होते है।
- गलत धारणाओं की निरन्तरता – आम आदमी का पुलिस से कोई सीधा सम्पर्क नही होता है परन्तु पुलिस के बारे में नकारात्मक धारण बना लेते है।
- पुलिसकर्मियों के लिए उचित प्रशिक्षण का अभाव :– पुलिस प्रशिक्षण का ढर्रा भी अभी औपनिवेशिक पद्वतियों (1864 अधिनियम पर आधारित) से ही चल रहा है। इस पद्वति से क्या च कैसे परिणाम प्राप्त हो सके है ? आधुनिक विधियों व प्रणालियों से प्रशिक्षित पुलिसकर्मी ही जनता की अपेक्षाओं को समझने में सक्षम हो सकते है।
- पुलिस कार्यो में राजनैतिक हस्तक्षेप होता है जिससे अपराधियो को पकडने में पुलिस को असफलता हाथ लगती है।
- पुलिस सेवा के उचित सम्मान में कमीः– एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी 24 घण्टे की होती है ईमानदारी की पुलिस प्रशासन में कमी नही है। अतः समय–समय पर पुलिसकर्मियों को उचित सम्मान दिया जाए तो इनकी छवि में सुधार हो सकता है और पुलिस जनता सम्बन्धों में सुधार हो सकता है।

लोककल्याणकारी राज्य में पुलिस जनता सम्बन्धों में सुधार के लिए निम्न सुझाव आवश्यक हैः– जिससे पुलिस के कार्यो में आने वाली बाधाओं को दुर किया जा सके।

- सर्वप्रथम पुलिस को अपनी प्रतिष्ठा सुधारनी होगी तब ही जनता के पास उसके अच्छे सम्बन्ध हो सकेगें क्योंकि जहॉ एक भी अभद्र पुलिस अधिकारी से पूरे विभाग की छवि धुमिल होती है वहा चुस्त, दुरूस्त, ईमानदार तथा सावधान अधिकारी तुरन्त सम्मानस्पद हो जाता है।
- अपने औपचारिक व्यवहार में पुलिसकर्मी को शिष्टाचारी होना चाहिए ताकि जनता में उसकी छवि सदाचारी की स्थापित हो सके।
- पुलिस अधिकारी जनता के पास मे साक्षात्कार के लिए सहज सुलभ रहे, इसके लिए पुलिस अधिकारियो को जनता के लिए मुक्त कपाट की नीति अपनानी चाहिए।
- वैसे हर शिकायत स्थिति में पुलिस हस्तक्षेप नही कर सकती है तद्यापि वह सलाह व सहायत में अपना योगदान दे सकती है।

यह सभी जानते है कि कल्याणकारी राज्य में पुलिस व जनता एक–दूसरे के पूरक है। वास्तव में ये दोनों समाजवादी गाड़ी के दो पहिये है। इन दोनो में से एक के खराब होन से संभावनाए बढ जाती, ओर समाजरूपी गाड़ी पटरी से नीचे उतर सकती है अतः पुलिस व जनता संबंधों में जो दूरियां हो गई है उन्हें मिटाना सामाजिक आवश्यकता है।

पुलिस में सुधार की शुरूआत पुलिस संगठन में काम कर रहें सर्वोच्च अधिकारी के व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि उच्च अधिकारी कार्यकुशल व व्यवहारिक है तो अधिनस्थ अधिकारियों के व्यवहार में भी परिर्वतन लाकर सुधार किया जा सकता है।

- कुशल नेतृत्व– कुशल व्यक्ति कुशल नेतृत्व पूरे संगठन को बदल सकता है। जनता में विश्वास बना सके ताकि जनता व पुलिस में दूरी कम की जा सके।
- भ्रष्टाचार निरोधी व्यवस्था सबसे पहले सरकार व या राजनेताओं को अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी कि वह पुलिस का गलत इस्तेमाल ना डाले। अपराधियों को छुड़ाने के लिए पुलिस अधिकारियों पर दबाव न डाले। जो बड़े व उच्च अधिकारी है उन्हें सदाचार अपनाना होगा। उन्हें किसी भी तरह का मोहजाल में नही फंसना चाहिए तभी पुलिस व समाज की दूरी को कम किया जा सकता है।
- सेवाभावी छवि बनेंः– एक अच्छे व कुशल पुलिस अधिकारी का महत्वपुर्ण गुण यह होता है कि वह कार्य निष्पादन में निष्पक्ष हो तथा यह सोचना चाहिए कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है इसलिए उसे सेवाभावी होना चाहिए।
- पुलिस व्यवहार में नम्रता व दृढ़ता आवश्यक है :– जिससे पुलिस व जनता के रिश्ते को मजबुत किया जा सके अर्थात जनता के साथ पुलिस को नम्रतापूर्वक तथा अपराधियों के प्रति कठोरता का व्यवहार करना चाहिए।
- अपराधों का पुलिस थानों में पंजीकरण किया जाए व त्रीवता से कार्यवाही की जाएः– जिससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो सकें।
- पुलिस कर्मियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यदि कार्यानुरूप उचित वेतन भत्ते प्राप्त हो तो भ्रष्टाचार में अवश्य कमी होगी और जनता को भी पुलिस पर विश्वास होगा।
- दोहरा नियंत्रण :– एक ओर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का नियंत्रण दूसरी ओर नागरिक सेवा के अध्किारियों का। अतः आदेश की एकता के अनुसार दोहरे नियन्त्रण को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि पुलिसकर्मी जवाबदेह रहेंगें व दोनो के मध्य सुधार हो सकेंगा।
- स्वायत्तता का अभाव :– पुलिस कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए पुलिस को प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए
- प्रक्रियात्मक सुधार :– जनता पुलिस सम्बन्धो में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि पुराने कालातीत, अप्रचलित नियम व अधिनियमों की जगह नये नियम व अधिनियम बनाये जाए जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप हो
- पुलिस में कार्मिक सुधार :– कार्मिक प्रशासन में सुधार के बारे में निम्न सुझाव हैः–
  - भर्ती :– पुलिस में दोषपूर्ण भर्ती प्रणाली को बदला जाए व योग्य व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जाए।
  - प्रशिक्षण :– पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण पाठयक्रम में नए विषयों तथा जनसम्पर्क, मनोविज्ञान, आधुनिक उपकरणो व हथियारों का प्रयोग आदि शामिल किया जाना चाहिए।
  - सेवाशर्ते :– पुलिस सेवा शर्तो में सामयिक सुधार किया जाना चाहिए।
  - पदोन्नति :– पुलिस में पदोन्नति के अवसर बढाये जाने चाहिए जिससे पुलिसकर्मी कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हो।
- समाचार पत्रों की भुमिका :– यदि समाचार पत्रों में पुलिस के कार्यो का उचित मूल्यांकन व सराहना की जाए तो आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढेगा व जनता पुलिस का सहयोग करेगी
- पुलिस द्वारा अमानवीय पद्दतियों का परित्याग :– पुलिस द्वारा जनाता के साथ मानवीय पद्दति अपनानी चाहिए।

- जनता भी अपना सहयोग दे :– प्रत्येक व्यक्ति उपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहे व निष्ठापूर्वक पालन करे तथा पुलिस के कार्यों में जनता अपना सहायोग करें।
- पुलिस की भ्रामक छवि बदलनी होगी :– भ्रामक छवि बदलने हेतु अनेक प्रयास करने होगें। इस हेतु स्वंय पुलिस, पुलिस की शांति समितियों को, समाज को भी यह समझाना होगा कि पुलिस एक सामाजिक संगठन है जो कि जनता की मदद करता है।
- पुलिस अधिकारियों का उचित सम्मान :– स्वंयसेवी संस्थाओं, गृह–मंत्रालय, सरकार और पुलिस विभाग को चाहिए कि वह आगे आकर इन अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान करें।
- पुलिस कार्यो पर वृत चित्र बनाए जाए व जनता को दिखाये जाए
- प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस संगठन का सिद्वान्त (आर.पी.टी. 1965) सदैव याद रखना चाहिए।
- समय पर अवकाश व आराम देने की व्यवस्था हो।
- अपराध निरोध पुलिस का गठनः– पुलिस में अपराध निशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए जा अपराध संभावित क्षेत्रों व व्यक्तियों पर निगाह रखे ये अपराधियों की मानसिकता समझने के करण अपराध घटित होने से पहले ही अपराधियों को पकड ले। अतः अपराध निरोध पुलिस के गठन से पुलिस की भुमिका को प्रभावशाली बनाया जा सकता है जिन पर निरोध पुलिस द्वारा नियंत्रण किया जा सकेगा। इस कार्य हेतु समाजकार्य व मनोविज्ञान में प्रशिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। जो आंरभिक स्तर पर ही अपराधी वृत्ति के बच्चों व युवाओं का उपचार करने में सहायक हो। पुलिस के इन कार्यो से उसकी सकारात्मक व दोस्त की छवि बनेगी।
- तनाव मुक्ति सम्बन्धी :– इस हेतु पुलिस संगठन में पर्याप्त स्टॉफ की नियुक्ति की जाए, राजनैतिक आर्थिक प्रभुत्व वाले लोगों का दबाव न हो, नियमित अवकाश की व्यवस्था हो, व्यायाम की नियमित व्यवस्था हो व तत्पश्चात् पौष्टिक रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पुलिसकर्मी तनाव मुक्त होकर कार्य कर सकें व जनता का विश्वास अर्जित कर सकें।
- साधन सम्पन्न सम्बन्धी :– पुलिसकर्मियों को नवीन तकनीकी का प्रशिक्षण व अत्याधुनिक साधन उपलब्ध कराए जाए जिससे कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें।

अतः उपर्युक्त सभी कारणों से लोककल्याणकारी राज्य में पुलिस व जनता के मध्य दूरी कम करके मधुर सम्बन्ध स्थापित किये जा सकतें हैं।

मूल्यांकन

जहॉ तक पुलिस के कार्य का सम्बन्ध है वे न तो मुसलमान है, न हिन्दू और न ही सिक्ख है वे केवल भारतीय है जो धर्म की ध्यान दिए बिना दुखियों को पूरा–पूरा संरक्षण प्रदान करने की शपथ में बंधे हुए हैं।
महात्मा गाँधी

प्रत्येक लोककल्याणकारी समाज में कानून व व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व उस राज्य की पुलिस प्रशासन पर निर्भर करता है। जितना अधिक सक्षम एवं कार्यकुशल पुलिस संगठन होगा उस समाज मे कानून व व्यवस्था उतनी ही अधिक सुचारू व श्रेष्ठ होगी।

लोककल्याणकारी समाज में वर्तमान पुलिस व्यवस्था ब्रिटिश शासन की देन है यद्दपि हमारे समाज में प्राचीनकाल व विभिन्न शासनकाल में भी पुलिस व्यवस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है परन्तु आधुनिक पुलिस व्यवस्था की वैधानिक संरचना, गठन व कार्यप्रक्रिया का निर्धारण ब्रिटिश शासकों द्वारा किया गया हैं।

पुलिस प्रशासन लोक प्रशासन का जटिल व संवेदनशील क्षेत्र है जो मुख्यरूप से आन्तरिक शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखती है जिससे की लोककल्याणकारी राज्यों का विकास व उत्थान के लिए परिस्थितियॉ पूरी तरह अनुकूल हो सकें।

लोककल्याणकारी राज्य में पुलिस के कार्यकरण, भुमिका व कार्य करने के तरीके हमेशा से ही किसी न किसी रूप में आलोचना का विषय रहे हैं।

हमारे निष्पक्ष शोध पत्र के रूप साक्षात्कार के आधार पर यह मत है कि आलोचनाएँ निराधार है किन्तु कुछ शिकायतें व आलोचनाएँ वास्तव में औचित्यपूर्ण व आधारयुक्त है अतः पुलिस संगठन में बदलाव की आवश्यकता है। अतः अध्ययन मे ंबताऐं गए सुझावों को अपनाकर पुलिस की भुमिका लोककल्याणकारी राज्य के अनुकूल अवश्य होगी।

निष्कर्ष

शोध में लोककल्याणकारी राज्य, पुलिस का अर्थ, संरचना, कार्य, लोककल्याणकारी राज्य में भुमिका, पुलिस की कल्याणकारी भुमिका में बाधाएँ तथा बाधाओं को दूर करने हेतु सुझाव पर अध्ययन किया गया है शोध मे वर्णित सुझावों की सूची पूर्ण नहीं है अनेक और भी समयानुसार समस्याएँ व सुझाव हो सकते है। ये सुझाव सामान्यीकृत नहीं है किन्तु फिर भी उपयोगी व महत्वपूर्ण है जो कि अवश्य ही लोककल्याणकारी राज्य में पुलिस संगठन को अधिक सक्षम कार्यकुशल व जनता के प्रति व्यवहारकुशल व संवेदनशील बनाने में उपयोगी होगें और प्रस्तुत अध्ययन लोक प्रशासन विषयवस्तु में एक मौलिक योगदान होगा, यह अध्ययन उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा जो इस विभाग व पुलिस प्रशासन के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- राजस्थान पुलिस (वार्षिक प्रतिवेदन 1999) राजस्थान पुलिस मुद्रणालय, जयपुर
- राजस्थान पत्रिका "परिचय" पुलिस व समाज की बढती दूरी
- www.Police.rajasthan.gov.in
- www.home.rajasthan.gov.in
- http://book.google.co.in>books

❖◆❖